क्रमांक 36/21/81-एस (1)

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

आयुक्त, अम्बाला/हिसार मंडल,
सभी उपायुक्त तथा उप मंडल अधिकारी ।

दिनांक, चण्डीगढ़ 9 जून, 1981

विषय :—इंजिनियरिंग विभागों के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने बारे ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर कृपया हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 30/14/80-एस, दिनांक 23 मई, 1980 की ओर ध्यान दें जिसमें यह कहा गया था कि भविष्य में उप मंडल अधिकारी (नागरिक), उपायुक्त तथा मंडलीय आयुक्त इंजीनियरिंग विभागों के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में अपनी टिप्पणी नहीं लिखेंगे ।

2. इस सम्बन्ध में मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि हरियाणा सरकार द्वारा इस मामले पर पुनः विचार उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि पूर्व प्रथा, जिसके अनुसार उप मंडल अधिकारी (नागरिक) उपायुक्त तथा मंडलीय आयुक्त इंजिनियरिंग विभागों के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में अपनी टिप्पणी दिया करते थे, पुनः लागू कर दी जाये । अतः राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 30/14/80-एस, दिनांक 23 मई, 1980 के जारी होने से पहले इस विषय पर जो हिदायतें लागू थीं कृपया उन्हें पुनः लागू समझा जाये और उसके अनुसार कार्यवाही की जाये । यह निर्णय वर्ष 1981-82 के लिये लिखी जाती वाली रिपोर्टों से लागू होगा ।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें ।

भवदीय,
हस्ताक्षर
विशेष कार्य अधिकारी (प्रशासनिक सुधार)
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

पृ: क्रमांक 36/21/81-एस (1) दिनांक 9 जून, 1981

एक एक प्रति निम्नलिखित को इस विभाग के पत्र क्रमांक 30/14/80-एस, दिनांक 23 मई, 1980 के संदर्भ में सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) ।
2. प्रमुख अभियंता लोक निर्माण (सिंचाई) ।
3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण (जन स्वास्थ्य) ।

कृपया इस पत्र की पावती भेजी जाये ।

एक एक प्रति सभी वित्तायुक्तों तथा हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिवों को इस विभाग के अशाः क्रमांक 30/14/80-एस, दिनांक 23 मई, 1980 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है ।

सेवा में,

सभी वित्तायुक्त, तथा
हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव ।